



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2466 /2026

मनव्वर

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

विजय प्रताप

सिंह

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह और राज्य के अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और रिकॉर्ड देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 282/2025, धारा 140(1), 103(1), 324(4), 238(a), 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन छपार, जिला मुजफ्फर नगर के अंतर्गत, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी तरह के सह-आरोपी मुकदमे को इस न्यायालय ने 16.1.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1050/2026 में पास किए गए आदेश के ज़रिए पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। आवेदक 22.10.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपी जैसी ही है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

5. जमानत की अर्जी का विद्वान ए.जी.ए. ने जोरदार विरोध किया है। हालांकि, सह-आरोपी के बराबर होने और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न होने की ऊपर बताई गई असल बातों पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, और पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि.एल.जे. 93 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो अन्य और 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825 में रिपोर्ट किए गए दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

8. आवेदक- **मनव्यर**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।



(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(विकास वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।